

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 43401/2013/अलेसे-III/984

दिनांक :- 25-08-2022

कार्यालय आदेश

श्री सजन सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, (लिंक नंबर-43401) कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 09.07.2021 को 23 लाख रुपये (तेईस लाख रुपये) बतौर रिश्तत मांग कर प्राप्त करने पर गिरफ्तार किये जाने एवं इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 257/2021 दिनांक 12.07.2021 पंजीबद्ध करने की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-423/2021-22 दिनांक 16.07.2021 द्वारा गिरफ्तारी दिनांक 09.07.2021 से निलम्बित किया गया था।

श्री गुर्जर को निलम्बित हुए 06 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री गुर्जर द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री सजन सिंह गुर्जर कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार छः माह पूर्ण होने की तिथि से अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/लिंक नं. 43401/2013/अलेसे-III/984

दिनांक :- 25-08-2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी अलवर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री सजन सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, (निलम्बित) कार्यालय कोषाधिकारी अलवर।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
7. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)